

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता,सिमडेगा।

दाखिल खारिज वाद संख्या - 18/2015 - 2016

मो0 मनसुर आलम अंसारी

दिनांक 29/08/2022

बनाम

झारखण्ड सरकार

प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद की कार्यवाही आवेदक मो0 मनसुर आलम अंसारी पिता स्व0 अब्दुल रजाक अंसारी ग्राम इस्लामपुर थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 254R27/2012 - 2013 दिनांक 10.09.2012 को अंचल अधिकारी सिमडेगा द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अपील दायर किया गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या - 18/2015 - 2016 के अनुसार प्रजगत् भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
सिमडेगा	सिमडेगा		50	511	0.07 एकड़
				510	1.01 एकड़
				कुल	1.08 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 18.06.2016 को दोनो पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया था। दिनांक 04.07.2016 को अंचल अधिकारी सिमडेगा से निम्न न्यायालय से न्यायालय की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी सिमडेगा के द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 18.07.2016 से दिनांक 26.07.2022 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्षों व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को दाखिल खारिज वाद संख्या 254R27/2012 - 2013 वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय का बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या 254R27/2012 - 2013 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सिमडेगा।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सिमडेगा।